02.12.16

राज्य द्वारा एडीपीओ। आरोपी शैलेन्द्र जेल से पेश। आरोपी देवेन्द्र पूर्व से फरार। फरियादी पलविन्दरसिंह उपस्थित।

फरियादी द्वारा आवेदन अंतर्गत धरा 320(2) दप्रस पेश कर आरोपी शैलेन्द्र से राजीनामा करने की अनुमति चाही प्रकरण में आरोपी शैलेन्द्र के विरुद्ध धारा 407 भादस का आरोप है जोकि शमनीय है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पी.टी.ए. पावडर का न्यासभंग वाहक के रूप में कारित किया है। फरियादी द्वारा इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को ई—मेल की प्रति समर्थित स्वयं के शपथपत्र एवं धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के साथ पेश किया है जिसके अनुसार संपत्ति का मूल्य परिवादी ने इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को जमा करा दिया है। अतः जिस संपत्ति का न्यास भंग कारित हुआ है उसका स्वामी वर्तमान में फरियादी पलविन्दरसिंह ही है। अतः फरियादी राजीनामा करने को सक्षम है।

फरियादी व आरोपी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पेश किया गया है। राजीनामा लोकनीति के विरुद्ध नहीं है ना ही विधि के प्रभाव को विफल करता है फरियादी वयस्त होकर संपत्ति का स्वामी है। अतः राजीनामा करने हेतु सक्षम है। अतः राजीनामा स्वीकार कर आरोपी शैलेन्द्र शर्मा पुत्र रामदास शर्मा को धारा 407 भादस के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अतः आरोपी शैलेन्द्र का रिहाई आदेश जारीहो।

प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र सिंह फरार है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / – (गोपेश गर्ग) जेएमएफसी, गोहद

2/12

ATTHORY PERIND SUNTY BELL SHIPS IN SUNTY BELL

All the total th